तकनीकी शिक्षा विभाग
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर

सड़क सुरक्षा
व
इसके महत्व

निदेशालय हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा,
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर

तकनीकी शिक्षा विभाग व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश

पाठ्यक्रम

सड़क सुरक्षा व इसके महत्व

Industrial Training Institute

हिमाचल प्रदेश के

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए

द्वारा

निदेशालय हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा,
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय -1	**सड़क सुरक्षा का महत्व**	**1-2**
1.1	राष्ट्रीय आंकड़े	1
1.2	राज्यस्तरीय आंकड़े	2
1.3	दुर्घटनाओं के कारण	3
अध्याय -2	**सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण**	**4-10**
2.1	तीव्रगति	4
2.2	शराब व अन्य नशीले पदार्थ	5
2.3	सुरक्षा सुविधा उपकरणों से परहेज	6
2.4	मोबाइल का प्रयोग	7
2.5	वाहन की परिस्थिति	7
2.6	सड़क की स्थितियां	7
2.7	मौसम की स्थितियां	7
	अच्छे वाहन चालक के गुण	8
	जिम्मेवारी	8
2.8	सुरक्षित ड्राइविंग के नियम	9
	- वाहन चलाते समय क्या करें	9
	- वाहन चलाते समय क्या न करें	11
अध्याय -3	**मूल सड़क चिन्ह एवं यातायात संकेत**	**12-29**
3.1	आदेशात्मक सड़क चिन्ह	12
3.2	सचेतक सड़क चिन्ह	18
3.3	सूचनात्मक सड़क चिन्ह	23
3.4	सड़क के निशान	27
3.5	यातायात संकेत	28
3.6	चालक हाथ संकेत	28
3.7	ट्रैफिक पुलिस हाथ संकेत	29
अध्याय -4	**प्राथमिक उपचार व पर्यावरण सुरक्षा**	**30-31**
4.1	दुर्घटना के तुरन्त बाद	30
4.2	वाहन की मरम्मत और रख-रखाव	30
4.3	वाहन का प्रदूषण चेक	30
4.4	सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल	30
4.5	108 नं0 का उपयोग	30
	- अन्य जानकारी	31

संकल्नकर्त्ता

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा पत्र संख्या STV(IT)HF(7)-16/Syllabus/NCVT/2015-110697-702 Dated 01/12/ 2016 के दिशा निर्देशों अनुसार निम्न टीम को प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 3-4 घंटे का सड़क सुरक्षा पर पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया था।

क्र.सं.	नाम व पता		ब्यौरा
(1)	श्री एस.के. लखनपाल, प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर, कांगड़ा	अध्यक्ष	
(2)	पुलिस अधीक्षक कांगड़ा स्थित धर्मशाला के मनोनीत अधिकारी	सदस्य	
(3)	मंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के मनोनीत अधिकारी	सदस्य	
(4)	श्री सुभाष शर्मा, समुह-अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौन स्थित रैल, हमीरपुर	सदस्य	
(5)	श्री जोगिन्द्र वर्मा, अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर, कांगड़ा	सदस्य	
(6)	श्री सोम दत्त, अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर, कांगड़ा	सदस्य	
(7)	श्री सचिन सन्तोषी, अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर, कांगड़ा	टंकण सहायक	
(8)	श्री अभिनंदन कालिया, प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगरोटा बगवां, कांगड़ा	सदस्य सचिव	

प्रस्तावना

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को सरकार ने गंभीरता से लिया है। आये दिन सड़क दुर्घटनाओं को देखा व सुना जा सकता है जिसके कारण प्रदेश के कई लोग जान गंवा चुके हैं व कई अपाहिज होकर मजबूरी और लाचारी का जीवन जीने को बाध्य हैं।

प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए सड़क सुरक्षा को अधिमान दिया है व विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग ने पहल दिखाते हुए माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री जी.एस. बाली के दूरदूर्शी मार्गदर्शन में चाहा गया कि यदि युवाओं को सड़क सुरक्षा के बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए तो जहां यह युवा अपने आपको सड़क में सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करेंगे वहीं अपने संपर्क में आने वाले सभी को सड़क सुरक्षा के बारे में परिचित करवाएंगें।

इस समय तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में 250 से अधिक सरकारी व गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यशील हैं। इन सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तीन-चार घंटे का संक्षिप्त पाठ्यक्रम वर्ष 2017 से लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सड़क सुरक्षा पर विभाग ने एक प्रयास किया है जिससे प्रदेश के युवाओं के माध्यम से जहां इनकी अपनी सुरक्षा का एक मार्गदर्शन होगा वहीं इनके संपर्क में आने वालों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। जिससे प्रदेश व देश के अमूल्य जीवन बचाये जा सकते हैं।

अध्याय–1

सड़क सुरक्षा का महत्व

हमारे देश में हर वर्ष हजारों व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और सैकड़ों जिन्दगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं इसलिए देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसे सड़क पर सुरक्षित चलने और सुरक्षित वाहन चलाने की जानकारी हो।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

1.1 राष्ट्रीय आंकड़े:

- 15 से 29 साल के लोग सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं।
- मरने वालों में 73 प्रतिशत पुरुष होते हैं।
- मरने वालों में 45 प्रतिशत लोग पैदल चल रहे होते हैं या साईकिल व मोटर साईकिल चला रहे होते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लगभग 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन 463 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और लगभग 1320 लोग सड़क दुर्घटनाओं में जख्मी होते हैं।

2013 के दौरान आकस्मिक मृत्यु के विभिन्न कारणों का प्रतिशत हिस्सेदारी (प्राकृतिक व अप्राकृतिक)

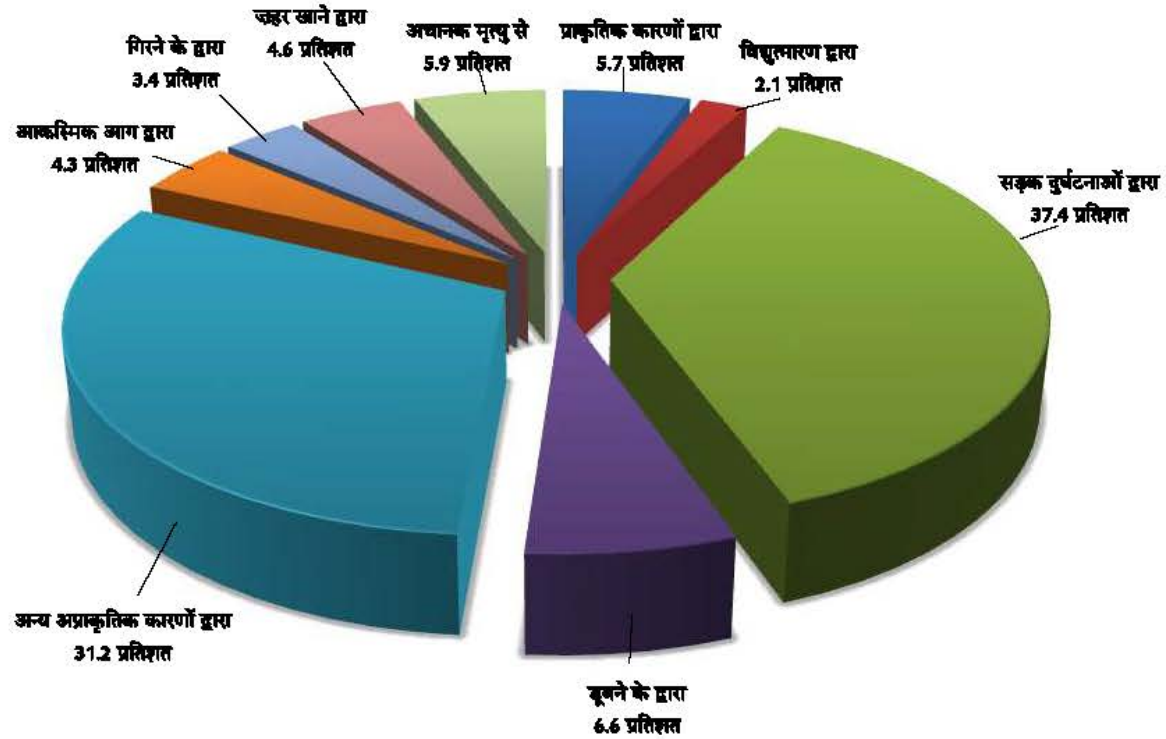

▪1.2 राज्यस्तरीय आंकड़ेः

हिमाचल प्रदेश के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े और भी अधिक चौंकाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं के मामले में देश के तीसरे स्थान पर है।

जी.वी.के. की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016 में 9542 लोग सड़क हादसों का शिकार हुए थे तथा 7454 सड़क हादसों के मामले प्रदेश भर में दर्ज हुए हैं। इस प्रदेश में लगातार सड़क हादसों में बढ़ौतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश में 2010 के बाद से 2016 तक युवा वर्ग सर्वाधिक सड़क हादसों का शिकार हुआ है तथा इसमें 19 से 30 साल तक के युवा वर्ग, जिनकी संख्या 18720 दर्ज हुई है, सड़क हादसों के शिकार हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिला कांगड़ा में सड़क में सबसे अधिक लोग शिकार हुए हैं। 2010 से लेकर दिसम्बर 2016 तक जिला कांगड़ा में सर्वाधिक 8770 लोग सड़क हादसों का शिकार बन चुके हैं।

सड़क हादसों में ऊना दूसरे स्थान पर 6371, सोलन तीसरे स्थान पर 6307, शिमला 5528, मंडी 4853, सिरमौर 4319, हमीरपुर 3552, बिलासपुर 2950, चंबा 1694, कुल्लू 1739, लाहौल-स्पीति 213 और किन्नौर में 322 लोग सड़क हादसों का शिकार हुए हैं। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि प्रदेश भर में 657 ऐसे स्थान पाए गए हैं, जहां अधिक सड़क दुर्घटनाएं पेश आती रहती हैं। रिपोर्ट में हादसे वाले दिनों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शनिवार व रविवार को अधिकतर सड़क हादसे पेश आए हैं। पूरे प्रदेश में जहां सर्वाधिक लोग सड़क हादसों का शिकार हुए हैं, वहीं जिला कांगड़ा का युवा वर्ग सबसे अधिक है। पिछले 6 सालों में सड़क हादसों में शिकार होने वाले युवाओं (19 से 30 साल का वर्ग) की संख्या 3388 रही है। इसी तरह सोलन जिला में इसी आयु वर्ग के 2871, ऊना में 2417, शिमला में 2340, मंडी में 1856 सिरमौर में 1761, हमीरपुर में 1266, बिलासपुर में 1165, कुल्लू में 759, चंबा में 661, किन्नौर में 144 और जिला लाहौल-स्पीति में 92 युवा सड़क हादसों के शिकार हुए हैं।

2010 से 2016 के दौरान प्रदेश में दुर्घटनाओं की स्थितिः

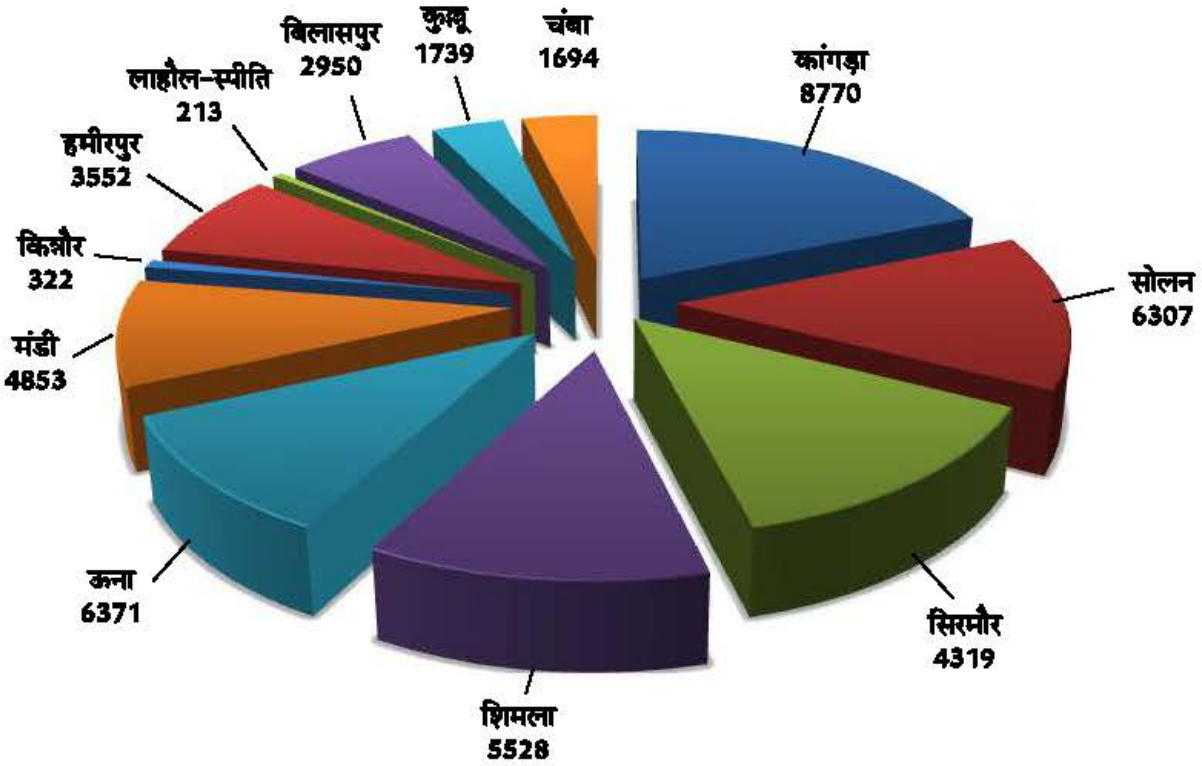

▪ 1.3 दुर्घटनाओं के कारण:

हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में 76 प्रतिशत मानवीय गल्तियाँ, 3 प्रतिशत यांत्रिक कारण, 11 प्रतिशत सड़कों की दुर्दशा, 7 प्रतिशत पदयात्रियों की गलती, 3 प्रतिशत प्राकृतिक कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं।

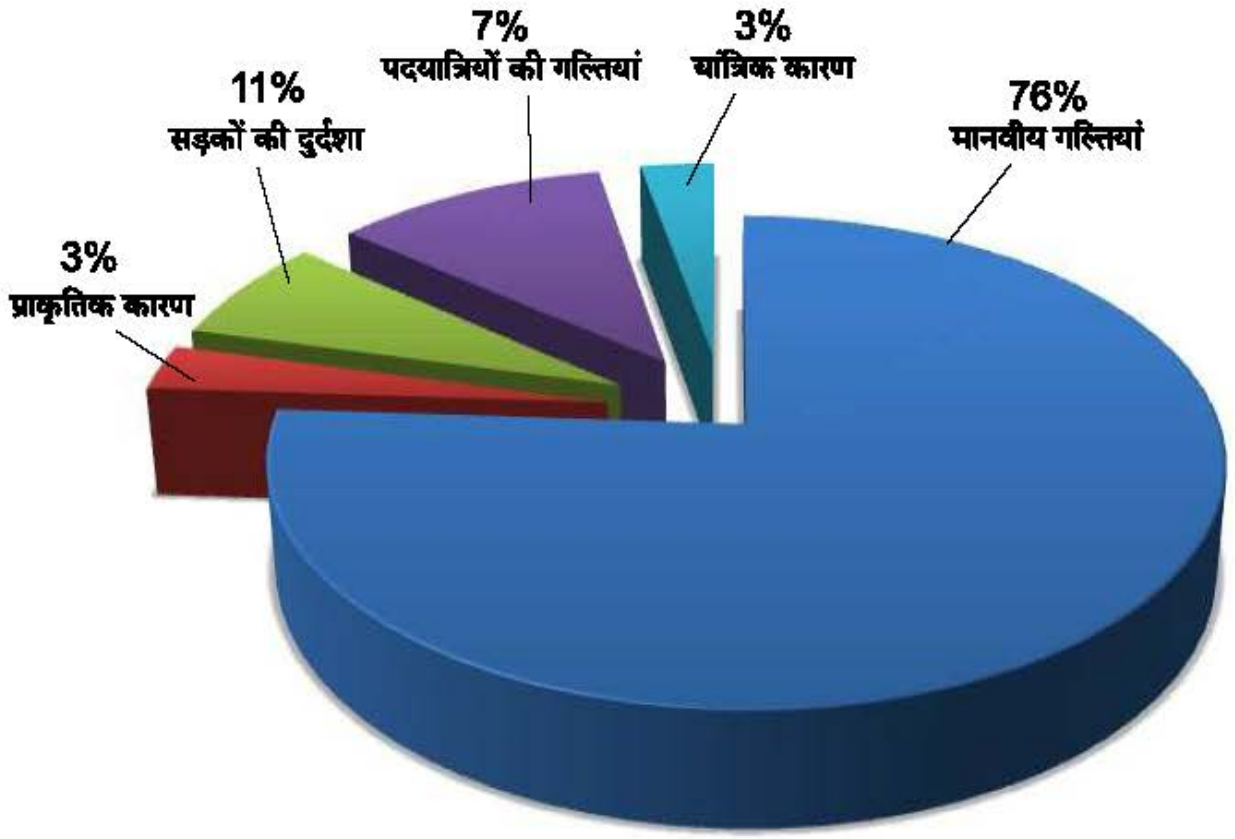

अध्याय–2

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण

घर से चलकर शाम को वापस सुरक्षित घर पहुंचने तक की यात्रा प्रत्येक नागरिक सड़क या अन्य मार्गों की सहायता से करता है। सड़क पर होने वाली दुर्घटना के अनेक कारण होते हैं जिनमें प्रमुख कारणों का वर्णन किया जा रहा है:

2.1 तीव्रगति:

दुर्घटना में तीव्रगति गम्भीर जख्म या मौत का कारण बन सकती है। वाहन को निर्धारित गति सीमा से तेज चलाना खतरों को निमंत्रण देता है। वाहन को चलाते समय सड़क की परिस्थिति, यातायात, दृश्यता या मौसम की परिस्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

तीव्रगति के दुष्परिणाम:

- तीव्रगति से सड़क दुर्घटनाएं अधिक होनी की सम्भावना होती है।
- तीव्रगति से गम्भीर रूप से घायल होने का अधिक खतरा होता है।
- जब दुर्घटना होती है तो सबसे अधिक खतरा पैदल चलने वालों, साईकल चलाने वालों, दो पहिया वाहन चलाने वालों के घायल होने का होता है।
- जब वाहन 30 किलोमीटर प्रति घण्टा की स्पीड से अधिक गति पकड़ता है तो वाहन के कलपुर्जों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जिसके कारण भविष्य में ब्रेक डाउन की सम्भावना पैदा हो जाती है।

2.2 शराब व अन्य नशीले पदार्थ:

शराब के नशे में वाहन चलाने पर चालक गलत निर्णय लेने वाला एकदम से गलत व्यवहार करता है जो कि सड़क में दुर्घटना के रूप में देखने को मिलता है।

नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने वाले खुद की जान को खतरे में तो डालते ही हैं, अपितु यात्रियों व सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों को भी खतरा पैदा करते हैं।

अन्य नशीले पदार्थों का प्रयोग करने से गाड़ी चलाना खतरनाक है क्योंकि:

- नशे का प्रभाव एकाग्रता को कम करता है।
- नशा मानव शरीर की सही प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
- नशे की वजह से दृष्टीदोष भ्रम पैदा होता है।
- नशा चालक की निर्णायक क्षमता को कम करता है। अतः वह जोखिम उठा लेता है जिसके फलस्वरूप दुर्घटना होती है।

2.3 सुरक्षा सुविधा उपकरणों से परहेज:

- हैलमेट पहनने से 40 प्रतिशत मौत का खतरा कम व घायल होने का खतरा 70 प्रतिशत तक कम हो जाता है।
- हैलमेट हमेशा उचित सुरक्षा मानकों के अनुसार होना चाहिए। अन्यथा बिना मानकों का हैलमेट पहनना पूर्ण सुरक्षा नहीं दे पाता।

- सीट बैल्ट पहनने से अगली सीट वाले यात्री को 40-50 प्रतिशत और पिछली सीट वाले यात्री 25-75 प्रतिशत तक मृत्यु का खतरा कम हो जाता है।
- दुर्घटना होने पर या वाहन की गति एकदम से कम होने पर यदि सीट बैल्ट नहीं पहनी हो तो चालक भी उसी गति के साथ Steering Wheel, Dash Board या Wind Screen के साथ टकराते हैं, जिससे गम्भीर चोट या मौत भी हो सकती है।

2.4 मोबाइल का प्रयोग :

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने से चालक का ध्यान बंटता है और वाहन के ऊपर से नियंत्रण खो जाता है, जो दुर्घटना का कारण बन जाता है।

2.5 वाहन की परिस्थिति :

ब्रेक या स्टेयरिंग का फेल होना, टायर फटना, अपर्याप्त हेडलाईट्स, ओवरलोडिंग, लदे सामान का वाहन से बाहर निकला हुआ होना भी दुर्घटना का कारण बनते हैं।

2.6 सड़क की स्थितियां:

गहरे गड्ढे, क्षतिग्रस्त सड़क, कटी सड़क, ग्रामीण सड़कों का राजमार्गों से मिलना, मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन), अवैध गति अवरोधक भी कई बार दुर्घटना का कारण बनते हैं।

2.7 मौसम की स्थितियां:

कोहरा, बर्फ, भारी वर्षा, आंधी-तूफान, ओलावृष्टि में यदि सावधानी से वाहन न चलाएं तो दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है।

अच्छे वाहन चालक के गुण:

एक अच्छे चालक में कई गुण होते हैं। उनमें से अनुभव व कौशल समय से आता है, लेकिन कुछ अन्य गुणों को उनमें शुरू से विकसित करना चाहिए। इन गुणों को चालक का व्यवहार कहा जाता है।

सुरक्षित ड्राइविंग में चालक व्यवहार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक चालक को इसे विकसित करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण से शुरूआत कर देनी चाहिए। ड्राइविंग 3 बातों का संयोजन होता है- **'देखो, सोचो और करो'**।

जिम्मेवारी:

एक चालक को अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अन्य सवारियों, पदयात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह केवल तभी संभव है, जब वह ट्रैफिक में हर समय होने वाले बदलाव पर ध्यान दे। उसे अपने कार्य की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए, जिससे दूसरों को कोई खतरा या असुविधा न हो।

- **पूर्वानुमान:** चालक में पहले से ही सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। इसका मानक समय 1.6 सैंकड होता है।
- **धैर्य:** अगर ट्रैफिक में दूसरा चालक कोई गलती करता है तो अपना धैर्य न खोयें।
- **आत्मविश्वास:** आत्मविश्वास की हद भी चालक का एक हिस्सा है। नए चालक स्वाभाविक रूप से असुरक्षित होते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास, अनुभव से पैदा होता है। लेकिन, अति आत्मविश्वास से लापरवाही, जोखिम व दुर्घटना तक हो सकती है।

2.8 सुरक्षित ड्राइविंग के नियमः

बहुत से चालक ऐसे होते हैं जिन्हें वाहन के बारे में उचित जानकारी नहीं होती है। वाहन चलाने से पहले वाहन के बारे में उचित जानकारी होना आवश्यक है ताकि सड़क पर हम सुरक्षित वाहन चला सकें। दोपहिया वाहनों के बारे में इग्निशन बटन, मीटर व गेज़, क्लच का लीवर, गियर शिफ्टिंग, ब्रेक पेडल, ब्रेक लेबल, हेड लाइट, डिपर सूचक, चोक तथा साइड स्टैंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके इलावा हल्के मोटर वाहन व भारी मोटर वाहन में स्टीयरिंग व्हील, स्टार्टिंग सिस्टम, डैश बोर्ड पर लगे मीटर, गेज़ व चेतावनी देने वाली लाईट, पार्किंग ब्रेक, पैर वाली ब्रेक, क्लच लीवर, एक्सीलेटर पैडल व गियर शिफ्टिंग, हैड लाईट, डिपर, साइड लाईट तथा सीट बेल्ट के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए।

वाहन चलाते समय क्या करें

हर बार हादसों से ही न सीखें, बल्कि अपनी सोच व आदत बदलें, ताकि हम सब सुरक्षित रहें।

- चलाने से पहले वाहन का प्रारम्भिक निरिक्षण करें। जैसे - ब्रेक, हार्न, टायर की हवा, लाईट आदि।
- हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें तथा वाईं ओर गाड़ी चलाएं।
- हल्के मोटर वाहन व भारी मोटर वाहन चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग करें तथा दोपहिया वाहन वाले हेल्मेट का प्रयोग करें।
- ज़ेबरा क्रासिंग पर पैदल यात्रियों के लिए रूकें।
- वाहन में स्पेयर व्हील, जनरल टूल किट व टार्च जरूर रखें।
- पहाड़ी रास्तों या चढ़ाई पर हमेशा ऊपर आ रहे वाहन को रास्ता दें।
- वाहन चलाते समय वाहन के सभी दरवाजें ठीक प्रकार लॉक होने चाहिए।
- हाथ हमेशा स्टीयरिंग व्हील पर होने चाहिए।
- लम्बी यात्रा के दौरान लगातार दो घंटे के बाद चालक थोड़ा आराम कर ले।
- एकल सड़क होने पर ड्राइव करते समय वाहन को बाईं ओर रखें।
- वाहन को दाईं तरफ ले जाने के लिए राइट साइड साकेंतक के प्रयोग के साथ हाथ बाहर निकालकर और वाहन धीमा करके मुड़ने की कोशिश करें।
- वाहन की लॉग बुक और रखरखाव रजिस्टर बनाकर अपडेट रखने की कोशिश करें।
- ड्राइव करते समय यातायात संकेत का खास ध्यान रखें तथा उसका पालन करें।
- हर मोड़ पर हार्न लगाकर तथा गति धीमी रखकर ड्राइव करें और गति धीमी होने की स्थिति में गेयर डाउन करें।
- बारिश, कीचड़ वाली जगह, तूफान, बर्फ गिरने आदि की स्थिति में वाहन की गति कम रखकर ड्राइव करें।
- ड्राइव करते समय यातायात संकेत का खास ध्यान रखें तथा उसका पालन करें।
- सड़क सुरक्षा से आप जागरूक हों तथा दूसरों को भी जागरूक करें।
- दोपहिया वाहन चलाते समय उच्च गुणवत्ता के हेल्मट का प्रयोग करें।

- वाहन में सभी जरूरी दस्तावेज रखें।
- हमेशा सीट बैल्ट का इस्तेमाल करें।
- स्थायी वैध लाइसेंस होने पर ही वाहन चलाएं।
- गाड़ी में गति नियन्त्रक (स्पीड गवर्नर) लगवाएं।
- रात के समय लो बीम रोशनी का प्रयोग करें।
- वाहनों के बीच उचित/सुरक्षित दूरी बनाएं रखें।

- ड्राइव के दौरान ईंधन की बचत करने के उपाय अपनाते रहें।
- कोहरे के समय फॉग लाइट का प्रयोग करके वाहन चलाएं।
- स्पीड के अनुसार ही गियर शिफ्ट करें।
- सत्यापित वाहन प्रशिक्षण स्कूल से ही ड्राइविंग सीखें।
- प्राथमिक चिकित्सा किट, महत्वपूर्ण संपर्क नम्बर, मोबाइल चार्जर, सड़क का रूट मैप, टार्च, टूल किट, सर्विस मैनुअल बुक वाहन में रखें।
- पिछली सीट पर बच्चे बैठें हो तो वाहन के दरवाजे में चाईल्ड लॉक लगाकर तथा सीट बैल्ट पहनाकर ही वाहन चलाएं।
- लम्बी दूरी की यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी व सड़क की हालत से अवश्य परिचित हों।
- लम्बी दूरी की यात्रा के दौरान अपने किसी संबंधी या अधिकारी के संपर्क में रहें।
- नवीनतम वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली आ चुकी है यदि ड्राइव के दौरान अचानक डैशबोर्ड पर चेतावनी प्रकाश का कोई सूचक नज़र आए तो तुरन्त वाहन सड़क के किनारे करें या अधिकृत विक्रेता से संपर्क करें।
- दुर्घटना होने पर तुरन्त 108 पर फोन करके सहायता प्राप्त/प्रदान करें।

वाहन चलाते समय क्या न करें

- कभी भी नशे में वाहन न चलाएं।
- तेज गति से वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कभी न करें।
- दोपहिया वाहन पर कभी भी तीन सवारी ना बैठाएं।
- म्युजिक प्लेयर के स्विच वाहन चलाते समय न बदलें।
- शारीरिक व मानसिक रूप से चालक ठीक न होने पर वाहन न चलाएं।
- शारीरिक व मानसिक रूप से चालक ठीक न होने पर वाहन न चलाएं।
- बार-बार बिना आवश्यकता के हार्न न बजाएं।
- सड़क की खराब हालत में वाहन को तेज गति में न चलाएं।
- तेज गति में कभी भी ओवरटेक न करें।
- अभिभावक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।
- भारी वाहन बिना कंडक्टर के कभी न चलाएं।
- कभी भी वाहन को न्यूट्रल में न चलाएं।
- बिना वैद्य दस्तावेज के वाहन न चलाएं।
- यातायात नियमों की अवहेलना न करें।
- वाहन में अधिकृत सीमा से अधिक भार न डालें।
- मोड़ व तंग पुलियों पर ओवरटेक न करें।
- वाहन चलाते समय अन्य आकर्षण योग्य चित्रों पर ध्यान न दें।
- मोटरसाइकल में ऐसे सायलेंसर का इस्तेमाल न करें, जिससे धमाके की आवाज़ आती हो। अपितु अधिकृत सायलेंसर का ही प्रयोग करें।
- पुराने वाहन को लम्बी दूरी की यात्रा के लिए न ले जाएं, बल्कि टैक्सी का प्रयोग करें।
- ड्राइव करते समय पिछली सीट में मुड़कर किसी भी वस्तु को उठाने की कोशिश न करें।
- माता-पिता अपने 18 साल से कम आयु के बच्चों को चलाने के लिए वाहन न दें।

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का वाहन चलाना गैरकानूनी है।

ट्रैफिक नियमों का पालन करें ।
सुरक्षित चलें, सुरक्षित चलायें ॥

अध्याय-3

मूल सड़क चिन्ह एवं यातायात संकेत

कोई व्यक्ति जब पहली बार सड़क पर वाहन चलाता है तो उसे सड़क संबंधी अनेक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ड्राइविंग सीखने वाले व्यक्ति के लिए सबसे आम जरूरतें हैं ड्राइविंग स्कूल में पंजीकरण कराना, सड़क से परिचित होना, यातायात नियम परीक्षा देना, सड़क की रीति-नीति के बारे में जानना और लाइसेंस पाना। इसमें से ड्राइविंग के बारे में एक बुनियादी बात सड़क या यातायात चिन्हों के बारे में व्यापक जानकारी पाना है, जिसे हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। प्रत्येक कुशल चालक के लिए इन चिन्हों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखना जरूरी है।

कोई भी नागरिक चाहे वह चालक या पैदल यात्री या सवारी हो, उसने सड़क के किनारे लगे विभिन्न चिन्हों के बोर्डों पर अवश्य ही गौर किया होगा, जिससे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा होता है। ये महत्वपूर्ण सड़क निर्देश बोर्ड रास्तों के मार्गदर्शक, चेतावनियों और यातायात नियामक के रूप में हमारी मदद करते हैं। यातायात नियंत्रण के साधन के रूप में इन चिन्हों पर पूरा ध्यान देना, उनका सम्मान और चालक द्वारा उनका पालन करना जरूरी है।

राजमार्गों व सड़कों के किनारे या ऊपर की ओर सड़क चिन्ह लगाए जाते हैं। अगर चिन्ह ठीक से दिखाई पड़ने वाली स्थिति में नहीं लगाए जाएं तो वे वाहन चालकों का प्रभावशाली ढंग से मार्गदर्शन करने के बजाए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। शब्दों के बजाए चित्रात्मक चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं और आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्हें बनाया जाता है।

सड़क चिन्हों को आदेशात्मक, चेतावनी-भरे एवं सूचनात्मक चिन्ह के वर्गों में बांटा गया है और मुख्य चिन्हों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। वाहन ड्राइविंग सीखने वालों और सड़क के अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए यह बेहद उपयोगी सामग्री साबित होगी।

आदेशात्मक सड़क चिन्ह

सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि चालक/प्रयोगकर्त्ता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आम तौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं। 'रुकिए' और 'रास्ता दीजिए' के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती है।

रुकिए

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे । आम तौर पर पुलिस, यातायात और पथ-कर प्रशासन जांच-चौकियों पर यह चिन्ह लगाते हैं।

रास्ता दीजिए

जिस जगह पर एक निश्चित लाइन में अनुशासन का पालन जरूरी है, वहां घुमावदार जगहों पर इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है।

प्रवेश निषेध

किसी क्षेत्र या सड़क के निश्चित भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिह्नित किया होता हैं। यह किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या यातायात-रहित क्षेत्र में प्रवेश के लिए हो सकता है, इसलिए ड्राइवर का इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग बदल लेना चाहिए।

एक दिशा मार्ग

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां केवल एक दिशा में यातायात के प्रवाह की अनुमति है। इस चिन्ह के बाद के रास्ते पर यातायात निषिद्ध होता है, लेकिन आता हुआ यातायात प्रवाह सामान्य रूप से बना रहता है।

एक दिशा मार्ग

यह चिन्ह दर्शाता है कि सिर्फ एक दिशा में यातायात के प्रवाह की इजाजत है। इस चिन्ह के पार रास्ते पर यातायात निषिद्ध होता है, लेकिन जाता हुआ यातायात प्रवाह सामान्य रूप से बना रहता है।

वाहनों का दोनों दिशाओं में आना जाना मना है

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस चिन्ह के बाद का चिन्हित क्षेत्र दोनों दिशाओं से बाहनों के आने-जाने के लिए प्रतिबंधित है। इस चिन्ह के प्रयोग के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे - सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए क्षेत्र, मरम्मत कार्य के अधीन क्षेत्र, सुरक्षा कारण आदि।

सभी मोटर वाहनों का आना मना है

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।

ट्रकों का आना मना है

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश निषिद्ध है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों (Intersection) पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने (यू-टर्न) से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन न करें।

राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुणा वृद्धि हुई है। इसलिए, सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने (ओवरटेकिंग) की कोशिश की जाती है। लेकिन, कुछ उन स्थानों पर संकरी सड़कें होती हैं, जहां पुल और मोड़ हैं। इसके मद्देनजर ओवरटेकिंग खतरनाक हो जाता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे निकलना निषिद्ध किया जाता है।

आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है। लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं, जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह निषिद्ध है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है।

बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक/ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, ड्राइवरों को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करने चाहिए।

कुछ अन्य आदेशात्मक चिन्हः

SOME MORE MANDATORY SIGNS

TRUCK PROHIBITED	BULLOCK CART & HAND CART PROHIBITED	BULLOCK CART PROHIBITED	TONGA PROHIBITED	HAND CART PROHIBITED
CYCLE PROHIBITED	PEDESTRIAN PROHIBITED	RIGHT TURN PROHIBITED	LEFT TURN PROHIBITED	U TURN PROHIBITED
OVERTAKING PROHIBITED	HORN PROHIBITED	NO PARKING	NO STOPPING	SPEED LIMIT
WIDTH LIMIT	HEIGHT LIMIT	LENGTH LIMIT	LOAD LIMIT	AXLE LOAD LIMIT
RESTRICTION ENDS	BUS STOP	COMPULSORY CYCLE TRACK	COMPULSORY SOUND HORN	COMPULSORY KEEP LEFT
COMPULSORY TURN LEFT	COMPULSORY TURN RIGHT	COMPULSORY AHEAD OR TURN RIGHT	COMPULSORY AHEAD OR TURN LEFT	COMPLUSORY AHEAD ONLY

सचेतक सड़क चिन्ह

यह चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों/स्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाही नहीं की जाती है, किन्तु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इसलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं।

दाहिना मोड़

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है।

बायां मोड़

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह भी आपको तद्नरूप वाहन चलाने में मददगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नज़र रखने का समय मिलता है। यह भी अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है।

दाहिना घुमावदार मोड़

कैंची मोड़ यानि तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में सूचित करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि पहाड़ की सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नज़र नहीं आते।

बायां घुमावदार मोड़

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र बाएं मोड़ के बारे में सूचित करता है। यह चिन्ह पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है। इससे वाहन के मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिलता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि पहाड़ की सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नज़र नहीं आते।

यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिनी तरफ टेढ़े-मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए।

यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को बाईं तरफ टेढ़े-मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए।

यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। अधिकतर मामलों में पहाड़ की सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है।

यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर सीधी ढलान है एवं ड्राइवर संबंधित गियर लगाकर सीधी ढलान पर पर गाड़ी चलाने के लिए वाहन की गति तेज नहीं रखनी चाहिए। अधिकतर मामलों में पहाड़ की सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जहां सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है।

जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।

कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है, जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है, जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नज़र रखे।

यह चिन्ह आगे को सड़क की फिसलन-भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

कुछ अन्य सचेतक सड़क चिन्हः

SOME MORE CAUTIONARY SIGNS

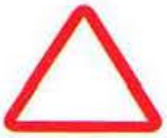

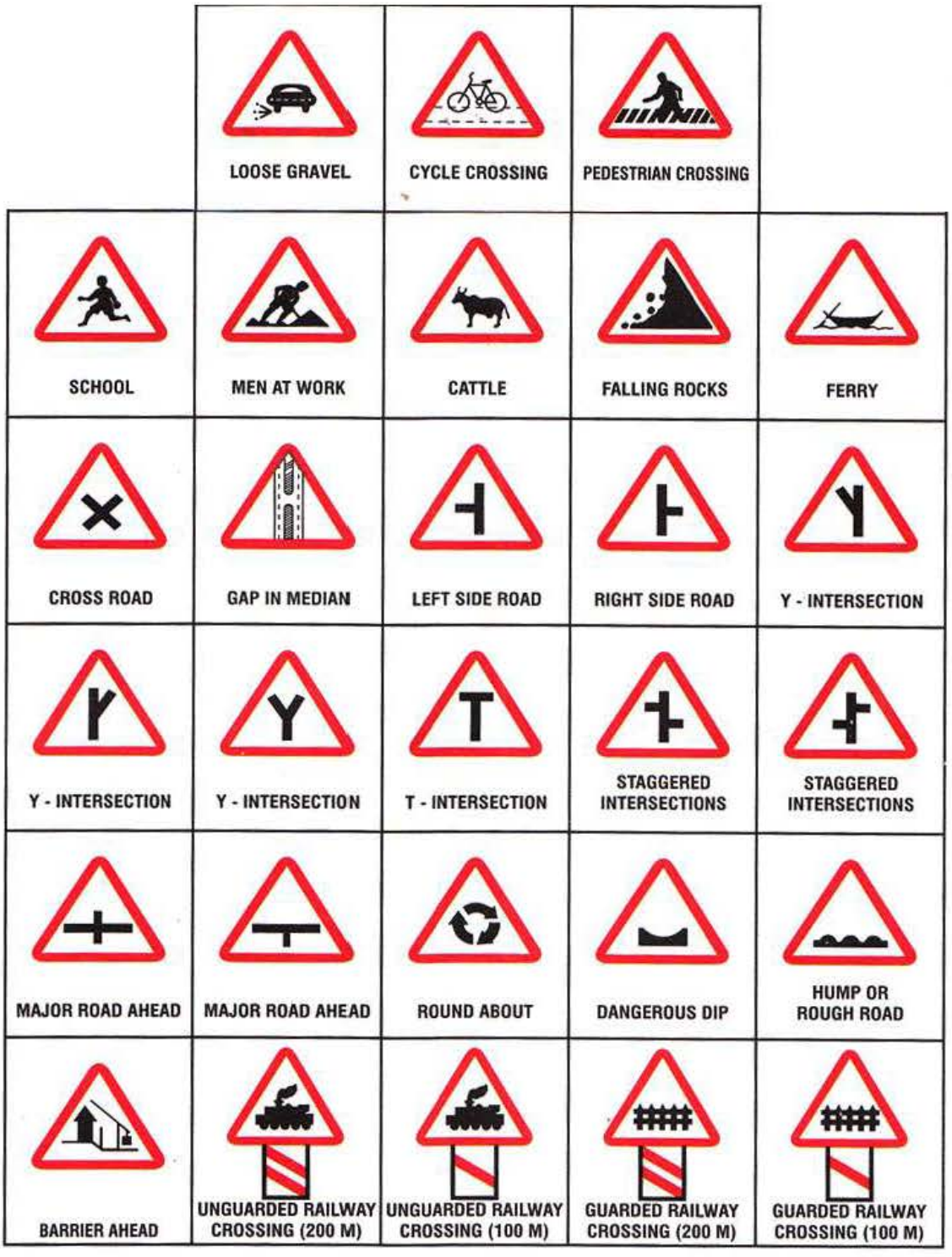

सूचनात्मक सड़क चिन्ह

यह चिन्ह लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्त्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारों पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से चालक का समय बचता है और इधर-उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद मिलती है। आम तौर पर ये चिन्ह चालक के सफर में मददगार होते हैं। सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं।

स्थान पहचान चिन्ह

यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों चित्रात्मक रूप में यह चिन्ह लगाया जाता है।

सार्वजनिक टेलीफोन

यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता इंगित करता है।

पेट्रोल पम्प

सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पम्प है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो बताता है कि चिन्ह के बोर्ड से पेट्रोल पम्प कितनी दूरी पर है।

अस्पताल

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।

प्राथमिक उपचार केंद्र

यह चिन्ह दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार केंद्र है, जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आम तौर पर ये चिन्ह राजमार्गों या ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं।

भोजन स्थान

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आम तौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़क पर यह चिन्ह देखा जा सकता है।

अल्पाहार

यह चिन्ह इंगित करता है कि सड़क के नज़दीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है।

विश्राम स्थल

सफर के दौरान यह चिन्ह विश्राम के लिए मोटल, लॉज या अन्य विश्राम गृह के नज़दीक लगाया जाता है। राजमार्गों पर ये चिन्ह देखे जा सकते हैं।

कुछ अन्य सूचनात्मक सड़क चिन्ह:

SOME MORE INFORMATORY SIGNS

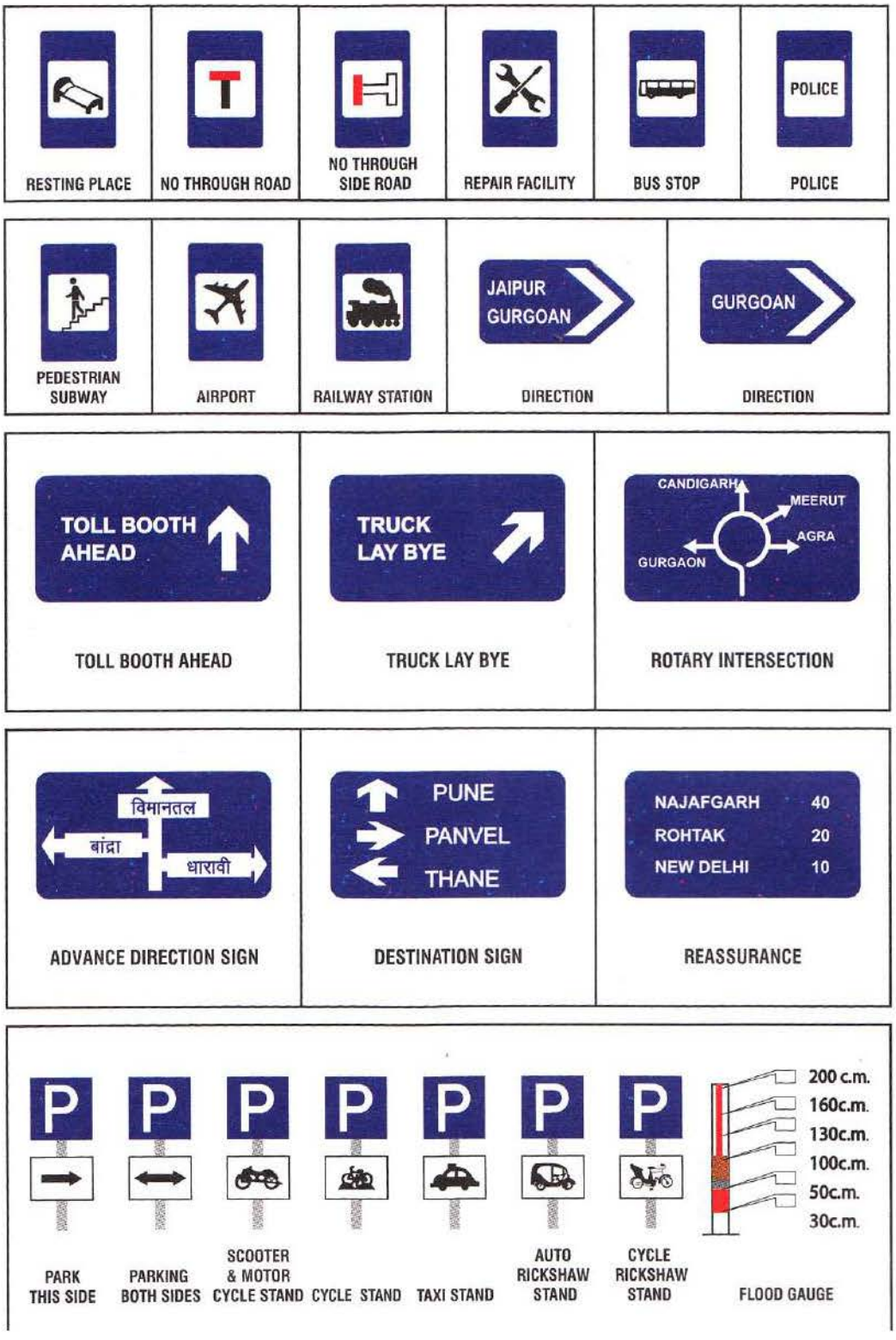

सड़क के निशान :

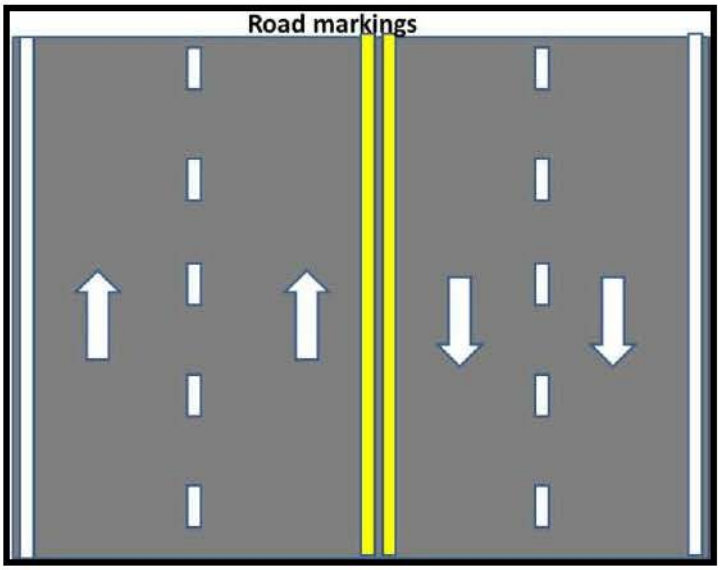

यातायात संकेत :

1. ट्रैफिक लाईट/इलेक्ट्रीकल सिग्नल

2. चालक हाथ संकेतः

वायीं ओर का संकेत	
दायीं ओर जाने या लेन बदली करने का संकेत	
रूकने का संकेत	
गति धीमी करने का संकेत	
पिछले वाहन को आगे निकलने का संकेत	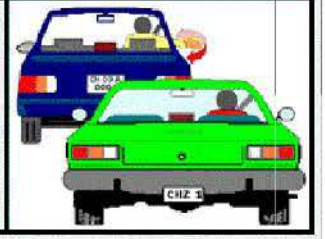

ट्रैफिक पुलिस हाथ संकेतः

To start one sided vehicles.

To stop vehicles coming from front.

To stop vehicles approaching from behind.

To stop vehicles approaching simultaneously from front and behind.

To stop vehicles approaching simultaneously from right and left.

To start vehicle approaching from left.

To start vehicles coming from right.

To change sign.

To start one sided vehicles.

To start vehicles on T-Point.

To give VIP salute.

To manage vehicles on T-Point.

अध्याय-4

प्राथमिक उपचार व पर्यावरण सुरक्षा

कुशलतापूर्वक वाहन चलाने के अलावा चालक एक सभ्य नागरिक भी होता है। जिसे प्राथमिक उपचार व पर्यावरण सुरक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए।

4.1 दुर्घटना के तुरन्त बाद के कुछ क्षण तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जिन्दगी बचाने में सहायक होते हैं उस वक्त आपका प्राथमिक उपचार का प्रारम्भिक ज्ञान व उपयोग उस व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसलिए वाहन में प्राथमिक उपचार किट होना अति आवश्यक है।

4.2 वाहन की Repair & Maintenance निश्चित समय पर करवाते रहना चाहिए, जिससे वातावरण भी अधिक दूषित न हो तथा तकनीकी कारणों से वाहन Brake down न हो और परेशानी भी न बने।

4.3 समय-समय पर वाहन का Pollution Check करवाते रहें ताकि प्रदूषण तत्वों की मात्रा का पता चलता रहे।

4.4 अपनी व्यक्तिगत वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें ताकि सड़क पर यातायात कम हो और वातावरण भी अधिक दूषित न हो।

4.5 108 नम्बर गाड़ी को बुलाकर घायल व्यक्ति को तुरन्त उपचार के लिए सहायता प्रदान करें।

अन्य जानकारीः

- समय-समय पर वाहन की सर्विस करवाएं।
- एकदम एक्सलेटर की पम्पिंग न करें।
- खराब सड़कों पर धीरे ड्राइव करें।
- भरोसेमंद पैट्रोल पम्प पर ईंधन भरवाएं। (बेहतर क्वालिटी का)
- एयरकन्डीशनिंग को जब जरूरत न हो तब बंद रखें।
- उचित गति में गियर शिफ्ट करें।
- ड्राइव करते समय क्लच ओवरराइड से बचें।
- माइलेज लाभ लेने के लिए ईंधन टैंक भरा रखें तथा वाहन को निर्धारित गति पर रखें।
- एक्सलेटर को स्मूथली रखें।